दो बजे दोपहर

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे से एक साथ प्रकाशित

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

शिवसैनिकों ने 27 हजार डायमंड से बनाई बालासाहेब की तस्वीर

दोपहर संवाददाता । मुंबई

शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 64वें जन्मदिन से पहले शिवसैनिकों ने बेशकीमती तोहफा दिया है। शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन यानी 27 जुलाई से एक दिन पहले मुंबई में बालासाहेब ठाकरे की एक अनूठी फोटो भेंट की। इस फोटों को 27 हजार चमकीले डायमंड की मदद से तैयार किया गया है। शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे को यह अनूठी तस्वीर मातोश्री पहुंचकर भेंट की। 27000 डायमंड से मिलकर बने इस चित्र को बनाने में छह महीने में तैयार किया गया है। शिवसैनिकों ने यह पोट्रेट बाल ठाकरे स्मारक के लिए बनाया है।

पहले बनाया था रतन टाटा का चित्र

शैलेश आचरेकर ने इससे पहले उन्होंने रतन टाटा का भी ऐसा ही चित्र बनाया था। आचरेकर ने बताया कि जब उन्होंने यह चित्र उद्धव ठाकरे को भेंट किया तो वह चकित रह गए थे। उन्होंने इसकी तारीफ की थी। उद्धव ठाकरे को यह चित्र संजय राऊत, विनायक राऊत, शिवसेना के उपनेता नितिन नंदगांवकर और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में भेंट किया गया। बाल ठाकरे के जन्मदिन जनवरी में पड़ता है।

मुख्य बिंदु

- उद्धव ठाकरे को जन्मदिन से पहले मिला अनमोल तोहफा
- शिवसैनिकों ने शिवसेना प्रमुख की भेंट की अनूठी तस्वीर
- 27,000 हीरों बनी है शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की फोटो
- मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार शैलेश आचरेकर ने बनाई है प्रोट्रेट

कलाप्रेमी थे बाल ठाकरे

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने बताया कि इस चित्र को महाराष्ट्र के सभी निष्ठावान शिव सैनिकों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 27,000 चमकीले डायमंड हैं। इसे शिवसैनिकों ने प्रेमपूर्ण उपहार में उद्धव ठाकरे को सौंपा है। हर्षल प्रधान ने बताया कि इस सुप्रसिद्ध कलाकार शैलेश आचरेकर ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख खुद भी कला के प्रेमी थे। बालासाहेब ठाकरे का यह हीरे जड़ित चित्र अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। प्रधान ने कहा कि शैलेश आचरेकर ने अपने काम के लिए पहले भी कई पुरस्कार जीते हैं। वह एक मशहूर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने चित्र को गर्मजोशी से स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि शैलेश का बालासाहेब का हीरे जैसा चित्रण वास्तव में आकर्षक है और निश्चित रूप से बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक में एक प्रमुख आकर्षण होगा।

अनमोल विचार धन उत्पादन का नियंत्रण ही मानव जीवन का नियंत्रण है: हिलैरे बेलोक

रुकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिए म्हाडा को हरी झंडी

- 4 परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
- 8 और प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे

दोपहर संवाददाता । मुंबई

मुंबई में अधिगृहीत इमारतों का पुनर्विकास कई वर्षों से 50 डेवलपर्स द्वारा रोक दिया गया है। इन डेवलपर्स को म्हाडा और राज्य सरकार द्वारा झटका दिया गया है। आवास विभाग ने म्हाडा को चार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। 8 और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के प्रस्ताव म्हाडा के माध्यम से आवास विभाग को भेजे जाएंगे। आवास विभाग ने 22 अगस्त, 2023 को मुंबई शहर में रुकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक सरकारी निर्णय लिया है।

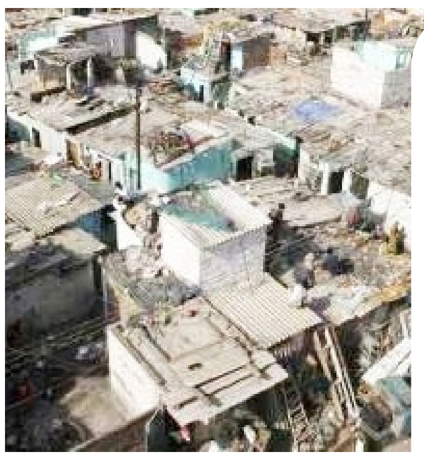

"आवास विभाग ने राज्य सरकार द्वारा चार परियोजनाओं के अधिग्रहण और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. तदनुसार, इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जाँच की जाएगी।

– मिलिंद सौंडकर, मुख्य अधिकारी, मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड

डेवलपर्स को छह महीने के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करना होगा

इस फैसले के मुताबिक, प्रोजेक्ट रोकने वाले डेवलपर्स को छह महीने के अंदर प्रोजेक्ट शुरू करना होगा. यदि डेवलपर छह महीने के भीतर परियोजना शुरू नहीं करता है, तो हाउसिंग एसोसिएशन को परियोजना का काम शुरू करने का अवसर मिलेगा। यदि संगठन भी परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो म्हाडा परियोजना को अपने हाथ में लेगी और परियोजना को पूरा करेगी। तदनुसार, म्हाडा ने उन डेवलपर्स को 40 नोटिस जारी किए हैं जो परियोजना को रोक रहे हैं। तदनुसार, आवास विभाग ने म्हाडा को परियोजना की भूमि का अधिग्रहण करने और परियोजना को लागू करने की अनुमति दी है। इसमें लालबाग, दादर पश्चिम में पानवाला बिल्डिंग नंबर 2 और 3 का पुनर्विकास शामिल है। क. बिल्डिंग, तारानाथ निवास लालबाग, जसोदा को. ओ आवास विभाग ने म्हाडा को हाउसिंग सोसायटी माहिम की रुकी हुई इमारतों के पुनर्विकास की अनुमति दे दी है। रुके हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए म्हाडा की ओर से आवास विभाग को 8 और प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इससे कई सालों से रुके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी और सैकड़ों निवासियों को राहत मिलेगी।

सलमान खान के घर गोलीबारी करने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दोपहर संवाददाता । मुंबई

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने वाले आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में स्पेशल MCOCA कोर्ट ने अनमोल बिश्वनोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को इस मामले में साजिशकर्ता माना गया है। दो आरोपियों ने सलमान खान के मुम्बई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को तड़के 5 बजे कई राउंड फायरिंग की थी। आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए थे। हालांकि, बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी 1735 पेज की चार्जशीट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया था।

चार्जशीट में सलमान का बयान

सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि अनमोल बिश्नोई से उनके परिवार को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अनमोल बिश्ननोई और उस दिन घटनास्थल पर गए शूटर विक्की कुमार गुप्ता के बीच सिग्नल अप के जरिए हुई बहातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी जोड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई का शूटरों को साफ निर्देश था कि जब तुम गोलीबारी करने जाना तब हेलमेट पहनकर मत जाना और सिगरेट पीते रहना ताकि निडर लगो और और लगे कि तुम इतिहास बनाने वाले हो। अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को निर्देश दिया था कि वहां पर गोलियां बड़े सोच और समझ कर चलानी है। चाहे आधा मिनट लगे तो भी दिक्कत नहीं है। एक मिनट लगे या डेढ़ मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है।

ओम बिरला की बेटी के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने वाले तलब

झूठ फैला रहा था ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट

दोपहर संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सुरक्षा शाखा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में अपमानजनक पोस्ट करने के लिए इंटरनेट मीडिया यूजर्स और सात अन्य को तलब किया है। महाराष्ट्र साइबर ने 'ध्रुव राठी (पैरोडी)' नाम के एक एक्स अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूजर के एक्स अकाउंट से दावा किया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष की बेटी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण की और अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में आइएएस अधिकारी बन गई।

पैरोडी अकाउंट का राठी से कोई संबंध नहीं

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस पैरोडी अकाउंट का यूट्यूबर ध्रुव राठी से कोई संबंध नहीं है। निराधार पोस्ट को सात अन्य लोगों द्वारा रिपोस्ट या साझा किया गया था, जिसके बाद अंजलि बिड़ला के एक रिश्तेदार ने महाराष्ट्र साइबर में मानहानि, जानबूझकर अपमान, शांति भंग करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

'मीम्स' पोस्ट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपत्तिजनक 'मीम्स' बनाने और पोस्ट करने के आरोप में एक्स के एक यूजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि शिकायत के आधार पर गुरुवार को ठाणे जिले के खड़कपाड़ा पुलिस थाने में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। आरोपित ने फडणवीस की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और आपत्तिजनक 'मीम्स' बनाकर 20 जुलाई से साझा किया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

शिवआरोग्य सेना की मदद से मरीज का सवा लाख बिल माफ

दोपहर संवाददाता । मुंबई

ठाणे के केविला, राबोडी के निकट रहनेवाले वाले 56 वर्षीय एक मरीज के इलाज का 1.25 लाख रुपये बिल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) की संगठना शिवआरोग्य सेना की पहल पर माफ कराया गया। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने शिव आरोग्य सेना के ठाणे जिला अध्यक्ष अखिलेश पाल को पत्र लिखकर उनके प्रयासों के लिए आभार प्रकट किया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ महीने पूर्व के.विला राबोडी के निकट रहनेवाली रीना दत्ता के 56 वर्षीय पति को ब्रेन हैमरेज के कारण मुलुंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर उनकी सर्जरी की गई, लेकिन हालात यह था कि सर्जरी के बाद भी मरीज की सेहत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। इसी बीच अस्पताल का दो दिन का बिल 2 लाख 52 हजार थमा दिया गया। मरीज के परिजनों ने किसी तरह 1 लाख 27 हजार का बिल चुकाया। शेष 1 लाख 25 हजार का बिल न भर पाने के कारण बकाया रखा । इस बीच मरीज की तबियत और ज्यादा खराब हो गयी। मरीज की खराब तबियत और बकाया बिल के टेंशन से परिजनों को कुछ सुझ नहीं रहा था। इस बीच परिजनों ने शिव आरोग्य सेना के ठाणे जिला अध्यक्ष अखिलेश पाल से संपर्क किया और उनसे इस संदर्भ में मदद मांगी। पदाधिकारी पाल ने तत्काल केईएम अस्पताल की डीन रावत मैडम से संपर्क कर एक वेंटिलेटर बेड उपलब्ध कराया और मरीज को केईएम में भर्ती कराया। लेकिन अगले दो दिन के भीतर ही मरीज की मौत हो गई। इस दौरान मुलुंड का निजी अस्पताल 1 लाख 25 हजार का बकाया बिल डिमांड कर रहे थे ।मरीज की मौत और बार-बार बिल के डिमांड मांगने से परिजन विचलित थे। इस संबंध में जानकारी मिलने पर अखिलेश पाल ने अस्पताल प्रबंधन से बात की और उन्हें मरीज की परिस्थिति के बार में समझा-बुझाकर अस्पताल से किसी तरह 1 लाख 25 हजार रुपये का बकाया बिल माफ करवाया। मरीज की मौत के बाद परिजन अपने गांव चले गए थे, वहां से वापस ठाणे लौटने के बाद परिजनों ने पत्र लिखकर शिव आरोग्य सेना और पदाधिकारी अखिलेश पाल के प्रयासों के लिए पत्र लिखकर जताया है।

भीमा कोरेगांव मामला

सुरेंद्र गडलिंग समेत 5 आरोपियों को नहीं मिली जमानत

दोपहर संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच आरोपितों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जज श्याम चांडक की खंडपीठ ने सुनाया है।

26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत

इस मामले के आरोपित सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, रोना विल्सन, सुधीर धवले और शोमा सेन ने विशेष कोर्ट में डिफाल्ट जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी। विशेष कोर्ट ने 2022 में इन सभी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इन आरोपितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इन पांचों आरोपितों को जून, 2018 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 21 जून को भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपित महेश राउत को अपनी दादी की मृत्यु के बाद धार्मिक क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी।

क्या है मामला ?

दरअसल, 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं ने एल्गार परिषद का आयोजन किया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया गया था, जिससे एक जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

'प्राइवेट बिल्डर्स और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना को बदनाम कर रही है'

चड्ढा डेवलपर्स का गंभीर आरोप

दीपक पवार । मुंबई

चड्ढा डेवलपर्स ठाणे के वांगनी और मुंबई में गरीब लोगों के लिए 23 हजार 200 किफायती घर बनाने जा रही है। इस घर से 1 लाख 25 हजार गरीबों को फायदा होगा। चूंकि इससे प्राइवेट बिल्डर्स की बिक्री पर असर पड़ रहा है, चड्ढा डेवलपर्स का आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर लॉबी प्रधानमंत्री आवास योजना को बदनाम कर रही है और कांग्रेस नेक मकसद से राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि हम स्वोना में गरीबों के लिए घर बनाने के एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।

'हमारा लक्ष्य हर गरीब के अपने घर का सपना पूरा करना'

शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा डेवलपर्स की प्रबंध निदेशक डिंपल चड्ढा ने कहा कि चड्ढा सामू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बना रही है आगामी गणेश चतुर्थी के लिए 1,000 फ्लैट हस्तांतरित किए जाएंगे, इसके बाद दिसंबर में 4,114 अन्य मकान हस्तांतरित किए जाएंगे। चड्ढा ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब के अपने घर का सपना पूरा करना है।

मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद: चड्ढा

चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। चड्ढा ने कहा कि वास्तव में, हम महाराष्ट्र में एकमात्र डेवलपर हैं जो गरीब लोगों से देर से भुगतान पर भी ब्याज या जुर्माना के रूप में कोई राशि नहीं लेते हैं। कांग्रेस और बिल्डर लॉबी अनावश्यक रूप से इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।इसके अलावा, चड्ढा ग्रुप 2002 से रियल एस्टेट कारोबार में काम कर रहा है। चड्ढा ने कहा कि चड्ढा ग्रुप रियल एस्टेट कारोबार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.

डिंपल चड्ढा ने कहा कि कोविड के कारण 5000 परिवारों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है. कोविड काल के दौरान बैंकों को समय पर ईएमआई नहीं चुका पाने के कारण उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया। ये परिवार किराया और ईएमआई एक साथ नहीं चुका सकते. एक ही समय में दो भुगतान करना बहुत मुश्किल है। यह सारी स्थिति सुनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत इन 25000 लोगों को समय पर ईडब्ल्यूएस घर देने का फैसला किया और चड्ढा ने इस निर्माण को समय पर पूरा करने का वादा किया।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

– सार्वजनिक सूचना–

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षों का संरक्षण एवं परिरक्षण अधिनियम 1975 (1 जनवरी 2018 तक संशोधित) की धारा 8 (3) (क) के अंतर्गत प्रावधान के अनुपालन में परिमंडल-3 के अंदर के/पूर्व विभाग से 03 प्रस्ताव, एच/पूर्व विभाग से 01 और एच/पूर्व विभाग से 01 प्रस्ताव यानी कुल 5 प्रस्ताव वृक्षों को हटाने के लिए मनपा आयुक्त/अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण (बीएमसी)/ की मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त प्रस्तावों के अंतर्गत पेड़ों की कटाई/पुर्नरोपित करने के बारे में विस्तृत जानकारी मनपा के www.mcgm.gov.in वेबसाइट पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका के बारे में विभाग और वार्ड की नियमावली संबंधित सूचना पुस्तिका-गार्डन और वृक्ष प्राधिकरण-वृक्ष प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना- सार्वजनिक सूचना 7--313- परिमंडल-3.

उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में नागरिकों की कुछ आपत्तियां व सुझाव आने पर इस विज्ञापन के छपने से 7 दिन के अंदर लिखित स्वरूप में निर्धारित प्रारूप में उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी के कार्यालय में पेश किया जाए।

उसी तरह आप अपनी आपत्तियां/सुझाव निर्धारित प्रारूप में dysg.ta@mcgm.gov.in ईमेल आईडी पर जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय पर पेश की गई आपत्तियों/सुझाव पर विचार किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त ईमेल या लिखित सुझाव/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सुझाव और आपत्तियों के संबंध में सुनवाई 14/08/2024 के दिन उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी के कार्यालय में दोपहर को 4.30 से 5.00 बजे के दरम्यान किया जाएगा। जो लोग इस सुनवाई में उपस्थित होना आवश्यक समझते हैं वे उपस्थित रह सकते है वे ई-मेल, सुझाव/आपत्तियों की एक प्रति के साथ।

उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष प्राधिकरण के वृक्ष अधिकारी
पेग्विन इमारत, 2री मंजिल
वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड,
भायखला (पूर्व), मुंबई-400027.
दूरभाष क्रमांक-022-23742162
ईमेल- dysg.ta@mcgm.gov.in

हस्ता.
उद्यान अधीक्षक
एवं वृक्ष अधिकारी

पीआरओ/704/विज्ञा./2024-25

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।